भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1725

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इकोसिस्टम

1725. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत में स्टार्टअप के पारिस्थितिकी तंत्र के तीव्र विकास की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्टार्टअप्स के लिए विनियामक वातावरण को सरल बनाने की दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): सरकार ने नवाचार, स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप परिवेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ परिवेश निर्माण करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यताप्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में 300 से अधिक से बढ़कर 31 अक्तूबर, 2023 तक 1,14,902 हो गई है। मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स ने 12.2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की सूचना प्रदान की है।

(ग) और (घ): सरकार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत और अनुपालन बोझ को कम करने के प्रयोजन से कई पहलों पर तत्परता से कार्य कर रही है, जिनका उद्देश्य अनुकूल व्यवसायिक वातावरण तैयार करना है। इन पहलों का उद्देश्य स्टार्टअप्स सहित अर्थव्यवस्था के सभी निकायों/क्षेत्रों/उद्योगों को लाभ पहुंचाना है।

इन पहलों के अंतर्गत प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

)i) आवेदन, नवीकरण, निरीक्षण, रिकॉर्ड फाइल करने आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण,

ii) अनावश्यक कानूनों के निरसन, संशोधन अथवा उन्हें किसी कानून में शामिल करके कानूनी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना,

)iii) इंटरफेस बनाकर सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करना और इस प्रकार मैनुअल प्रपत्रों और रिकार्डों की आवश्यकता को समाप्त करना, और

)iv) मामूली तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों का गैर-अपराधीकरण।

विशेष रूप से स्टार्टअप परिवेश के लिए, सरकार ने विनियामक वातावरण को सरल बनाने हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इस संबंध में, स्टार्टअप परिवेश के लिए किए गए 57 प्रमुख विनियामक सुधारों की एक सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

****

अनुबंध- I

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1725 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्टअप इकोसिस्टम हेतु किए गए 57 प्रमुख विनियामक सुधार निम्नानुसार हैं:

भारतीय रिजर्व बैंक

1. स्टार्टअप उद्यमों को वाह्य वाणिज्यिक ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत 3 मिलियन अमरीकी डॉलर तक ऋण प्राप्त करने की अनुमति है। (अक्तूबर, 2016)

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) स्टार्टअप्स, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में लगे हों, सहित स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 की अनुसूची 6 में उल्लिखित किसी भी गतिविधि में संलग्न भारतीय कंपनी की 100% पूंजी तक योगदान दे सकता है (अगस्त, 2017)

3. एक भारतीय स्टार्टअप, जो विदेशी सहायता प्राप्त है, उक्त इकाई और/या विदेशी सहायक के निर्यात/बिक्री से उत्पन्न होने वाली राशि द्वारा किए गए निर्यात/बिक्री से अलग विदेशी विनिमय आय को जमा करने के लिए भारत के बाहर एक बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है। (जून, 2016)

4. सॉफ्टवेयर निर्यातकों द्वारा दायर सॉफ्टेक्स फॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है। (फरवरी, 2019)

5. एफडीआई नीति के अनुसार, स्टार्टअप की अवधि को परिवर्तनीय नोट की परिभाषा के उद्देश्य से दिनांक 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुरुप बनाया गया है। (मार्च, 2022)

6. आरबीआई ने भारत में विदेशी निवेश के लिए एफआईआरएमएस पोर्टल पर सिंगल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) में रिपोर्टिंग प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया है। (जनवरी 2023)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

7. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, द्वारा दिनांक 04-01-2017 से, एंजल फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए निश्चित अवधि 3 वर्ष को घटाकर 1 वर्ष तक संशोधित कर दिया गया है।

8. एंजेल फंड को विदेशी निवेश उद्यम पूंजी उपक्रमों में निवेश करने की अनुमति है, जो सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा दिनांक 04-01-2017 से प्रदान की गई अन्य एआईएफ के अनुरूप उनके निवेश योग्य कॉर्पस के 25% तक है।

9. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा दिनांक 04-01-2017 से किसी स्कीम में एंजल निवेशकों की संख्या की ऊपरी सीमा को उनन्चास से बढ़ाकर दो सौ कर दिया गया है।

10. किसी भी उद्यम पूंजी उपक्रम में एंजेल फंड द्वारा न्यूनतम निवेश राशि की आवश्यकताओं को सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा दिनांक 04-01-2017 से पचास लाख से घटाकर पच्चीस लाख कर दिया गया है।

11. सेबी द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्रों में वैकल्पिक निवेश निधि के लिए परिचालन दिशानिर्देश" जारी कर दिए हैं। (नवंबर, 2018)

12. एआईएफ विनियम के अंतर्गत, स्टार्टअप की परिभाषा को स्टार्टअप्स में एंजिल फंड द्वारा निवेश के लिए 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुरूप किया गया है। (5 मई, 2021)

13. सेबी (वैकलपिक निवेश निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021 के द्वारा वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की परिभाषा से प्रतिबंधित गतिविधियों या क्षेत्रों की सूची को हटाया गया है अर्थात श्रेणी-1 एआईएफ अब एनबीएफसी में निवेश कर सकते हैं। (5 मई, 2021)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

14. निजी कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण (यदि ऐसी निजी कंपनी स्टार्ट-अप है) में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है। (जून, 2017)

15. एक निजी कंपनी, जिसे इसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट-अप के रूप में माना जाता है, को भी राशि पर बिना किसी प्रतिबंध के सदस्यों से जमा स्वीकार करने की अनुमति है। (सितंबर, 2017)

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के उद्देश्य से परिभाषित स्टार्टअप: परिभाषा के अनुसार, एक स्टार्ट-अप कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक निजी कंपनी से है और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार "स्टार्टअप" के रूप में मान्यता प्राप्त है। (जून, 2017)

17. शेयरधारकों से जमा बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक अनुपालन से छूट (जैसे कि एक प्रस्ताव परिपत्र जारी करना या जमा पुनर्भुगतान आरक्षित करना) (जून, 2017)

18. एक निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्टअप है) के संबंध में, वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव, या जहां कंपनी का कोई कंपनी सचिव नहीं है वहां पर निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। (जून, 2017)

19. एक निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्टअप है) को एक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में निदेशक मंडल की कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक है और दोनों बैठकों के बीच का अंतर नब्बे दिनों से कम ना हो। (जून, 2017)

20. कंपनी निगमन के लिए नाम आरक्षण: नियम 8, कंपनी (निगमन) नियम, 2014, कंपनी (निगमन) 5वें संशोधन नियम, 2019 के साथ प्रतिस्थापित, जो मौजूदा कंपनी के नाम, कंपनी की अवांछनीय नामों की नई श्रेणियों के साथ समानता पर नए नियम प्रदान करता है और उन शब्दों की सूची जिन्हें अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही उपयोग किया जा सकता है। (मई, 2019)

21. कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण) नियम, 2014 में संशोधन: कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने 16 अगस्त, 2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अवधि को निगमन की तारीख से 5 वर्ष से 10 वर्ष करके स्टार्टअप के प्रोमोटरों और निदेशकों (10% से अधिक इक्विटी धारक) को ईएसओपी प्रदान किया जा सकता है और इस तरह डीपीआईआईटी अधिसूचना में 19 फरवरी, 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के साथ कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण) नियमों को श्रेणीबद्ध किया गया।

अधिसूचना ने कंपनी में मतदान के अधिकार वाले शेयरों की सीमा को भी बढ़ा दिया, कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी पूंजी के कुल पोस्ट-इश्यू के 26% से लेकर कुल वोटिंग पावर के 74% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, डीवीआर शेयरों को जारी करने के लिए पिछले तीन वर्षों के वितरण योग्य मुनाफे के लगातार रिकॉर्ड रखने की कंपनी की शर्त को हटा दिया गया है। (अगस्त 2019)

22. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, अनुसूची VII में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटरों में योगदान को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है, और इसमें योगदान करने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकाय (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में स्थापित), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगे हुए हैं। (अक्तूबर 2019)

23. भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पहल के भाग के रूप में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने मौजूद एसपीआईसीई प्रपत्र के स्थान पर नए एकीकृत वेब प्रपत्र की शुरुआत की है जिसका नाम 'एसपीआईसीई+' है। एसपीआईसीई केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों और विभागों (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग) की 10 सेवाएं तथा राज्य सरकार (महाराष्ट्र) की एक सेवा प्रदान करेगा जिससे भारत में व्यवसाय शुरु करने की कई प्रक्रियाएं, समय और धन की बचत होगी तथा यह 23 फरवरी 2020 से निगमित होने वाली सभी नई कंपनियों के लिए लागू होगा। एसपीआईसीई+ के दो भाग हैं: भाग क- नई कंपनियों के लिए नाम आरक्षण हेतु तथा भाग ख कई सेवाएं प्रदान करता है जैसे (i) निगमीकरण (ii) डीआईएन आबंटन (iii) अनिवार्य रूप से पैन जारी करना (iv) अनिवार्य रूप से टैन जारी करना (v) ईपीएफओ का अनिवार्य पंजीकरण (vi) ईएसआईसी का अनिवार्य पंजीकरण (vii) पेशेवर कर का अनिवार्य पंजीकरण (महाराष्ट्र) (viii) कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से बैंक खाता खोलना और (ix) जीएसटीआईएन (यदि आवेदन किया गया है तो) का आबंटन। (फरवरी 2020)

24. कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम, 2014 में संशोधन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 05 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें स्वेट इक्विटी शेयरों की अवधि को निगमीकरण की तारीख से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है तथा इस प्रकार कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम के प्रावधान डीपीआईआईटी की 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुरूप हो गए हैं। (जून 2020)

25. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 07 सितंबर, 2020 को अधिसूचना जारी थी जिसमें परिवर्तनीय नोट की अवधि को जारी करने की तारीख से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और इस प्रकार कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम के प्रावधान डीपीआईआईटी की 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुरूप हो गए हैं। (सितंबर 2020)

26. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 07 सितंबर, 2020 को अधिसूचना जारी थी जिसके जरिए सदस्यों द्वारा निजी कंपनियों से स्वीकार की जाने वाली जमा राशि से संबंधित उच्चतम सीमा स्टार्टअप कंपनी पर 5 वर्ष की बजाय 10 वर्ष के लिए लागू नहीं होगी। (सितंबर 2020)

27. भुगतान की गई पूंजी और कारोबार पर को बिना किसी प्रतिबंध के ओपीसी आगे बढ़ने की अनुमति देकर, किसी भी समय किसी अन्य प्रकार की कंपनी में उसके परिवर्तन की अनुमति देकर, किसी ओपीसी को स्थापित करने के लिए भारतीय नागरिक हेतु निवास की सीमा को 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करके तथा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को भी भारत में ओपीसी का निगमन करने की अनुमति देकर एकल स्वामित्व वाली कंपनी (ओपीसी) का निगमन। (फरवरी 2021)

28. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना द्वारा स्टार्टअप की परिभाषा को सुसंगत करते हुए दिनांक 30 अगस्त, 2022 को एक अधिसूचना जारी की। (अगस्त 2022)

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

29. घरेलू कंपनी के मामले में, जहां उसका कुल कारोबार या पिछले वर्ष में कुल प्राप्ति दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, उस पर कुल आय का 25 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाएगा। (फरवरी, 2018)

30. योग्य व्यवसाय की परिभाषा जैसा कि धारा 80-आईएसी में स्टार्टअप्स परिभाषा में बताया गया है। (अप्रैल, 2018)

31. आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 54ईई की शुरुआत: यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फंड में इस तरह के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का निवेश किया जाता है तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट प्राप्त होगी। अधिकतम निवेश की राशि 50 लाख रुपये है। (मई, 2016)

32. आयकर अधिनियम की धारा 54जीबी में संशोधन: आवासीय मकानों या आवासीय भूखंडों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर से छूट, यदि कुल राशि को निर्दिष्ट संपत्ति की खरीद हेतु उसी के उपयोग के लिए पात्र स्टार्टअप के इक्विटी शेयरों के निर्धारित हिस्से में निवेश की जाती है। (फरवरी, 2016)

33. न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को दस मूल्यांकन वर्षों के बजाय पंद्रहवें मूल्यांकन वर्ष तक आगे ले जाने की अनुमति दी गई है। (2017)

34. आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के अंतर्गत छूट: ऐसे पात्र स्टार्टअप को शामिल किए जाने वाले वर्ष से शुरू होने वाले 7 वर्षों (पूर्व 5 वर्षों) में से किन्हीं भी लगातार 3 मूल्यांकन वर्षों के लिए पात्र स्टार्टअप को छूट। (अप्रैल, 2018)

35. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्व-घोषणा के आधार पर उचित बाजार मूल्य से ऊपर के शेयरों को जारी करने के लिए स्टार्टअप्स को धारा 56 (2) (viiख) के प्रावधानों के अंतर्गत कर से छूट। जारी करने के बाद या जारी करने के प्रस्तावित स्टार्टअप के भुगतान की गई शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। (फरवरी, 2019)

36. परिवर्तनीय नोटों का कराधान - वह अवधि जिसके लिए परिवर्तन से पहले एक बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक अथवा डिपॉजिट सर्टिफिकेट रखा गया था, ऐसे शेयरों या डिबेंचर के परिवर्तन पर इन्हें रखने की अवधि निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा। (मार्च, 2016)

37. आयकर अधिनियम की धारा 54जीबी में 01 अप्रैल 2020 से संशोधन: (अगस्त 2019)

i. 50% शेयर पूँजी की न्यूनतम होल्डिंग की शर्त अथवा स्टार्ट-अप में मताधिकार में 25% तक छूट।

ii. उस अवधि का विस्तार जिसके अंतर्गत आवासीय संपत्ति की बिक्री से धारा 54 जीबी के तहत लाभ 31 मार्च, 2021 तक लिया जा सकता है।

iii. कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नई संपत्ति के हस्तांतरण को दिनांक 1-04-2020 से 5 वर्ष से 3 वर्ष तक सीमित करने की छूट संबंधी शर्त।

38. आयकर अधिनियम की धारा 79 (अगस्त 2019) में संशोधन: दो शर्तों में से किसी एक की संतुष्टि होने पर अपने नुकसान को आगे ले जाने के लिए पात्र स्टार्टअप्स :

i. 51% शेयरधारण / मतदान शक्ति की निरंतरता अथवा

ii. वोटिंग पावर लेने वाले मूल शेयरधारकों की 100% निरंतरता

39. इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे श्रेणी । और ॥ आईएएफ से होने वाले नुकसान से गुजरने की अनुमति आमदनी से गुजरना है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, आकलन वर्ष 2020-21 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होंगे। (अगस्त 2019)

40. स्टार्टअप में श्रेणी-। आईएएफ की उद्यम पूंजी निधि द्वारा किए गए निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viiख) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई थी। यह छूट उक्त धारा में "निर्दिष्ट निधियों" की शुरूआत के माध्यम से श्रेणी- । आईएएफ और श्रेणी- ॥ आईएएफ की सभी उप-श्रेणियों हेतु प्रदान की गई है। (अगस्त 2019)

41. वित्त अधिनियम 2020 विशिष्ट व्यवसायों से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में संशोधन करने की मांग करता है। धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पात्र स्टार्टअप द्वारा सात वर्ष के पूर्ववर्ती मानदंडों की तुलना में दस में से लगातार तीन वर्षों तक पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति की शत-प्रतिशत राशि के बराबर कटौती करने की व्यवस्था है जिसका विकल्प निर्धारिती को मिलता है तथा उस मूल्यांकन वर्ष, जिसमें लिए इस धारा के तहत कटौती का दावा किया गया है, के लिए संगत पिछले वर्ष

में उनके व्यवसाय का उत्पादन सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तद्नुसार मूल्यांकन वर्ष 2021-22 तथा इसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। (फरवरी 2020)

42. वित्त अधिनियम 2020 विशेष व्यवसायों से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में संशोधन करने के लिए है। धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पात्र स्टार्टअप द्वारा दस में से लगातार तीन वर्षों तक पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति की शत-प्रतिशत राशि के बराबर कटौती करने की व्यवस्था है जिसका विकल्प निर्धारिती को मिलता है तथा उस मूल्यांकन वर्ष, जिसमें लिए इस धारा के तहत कटौती का दावा किया गया है, के लिए संगत पिछले वर्ष में उनके व्यवसाय का उत्पादन पहले के पच्चीस करोड़ रुपए के मानदंड की तुलना में सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार मूल्यांकन वर्ष 2021-22 तथा इसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। (फरवरी 2020)

43. वित्त अधिनियम 2020 आयकर अधिनियम की धारा 156, 191 और 192 में संशोधन करने के लिए है ताकि कर्मचारी धारा 80-आईएसी में संदर्भित पात्र स्टार्टअप की धारा 17(2)(vi) के तहत रियायत के रूप में प्राप्त विशिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर प्राप्त करने, जो संगत मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से अड़तालिस माह की समाप्ति के बाद चौदह दिन के भीतर या निर्धारिती द्वारा ऐसी विशिष्ट प्रतिभूमि या स्वेट इक्विटी शेयर की बिक्री की तारीख से या निर्धारिती के किसी व्यक्ति के कर्मचारी के रूप में समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, से कटौती या भुगतान, जैसा भी मामला हो, में समर्थ हों, जो उक्त विशिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर के आबंटन या हस्तांतरण वाले वित्तीय वर्ष में लागू दरों पर आधारित होगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। पहले के मानदंडों के अनुसार, ईएसओपी सहित ऐसी रियायत पर कर्मचारी द्वारा विकल्प के इस्तेमाल के समय कर लगता था। (फरवरी, 2020)

44. वित्त विधेयक 2021 स्टार्टअप्स के लिए कर छूट के दावे के लिए पात्रता अवधि के एक और वर्ष तक विस्तार का प्रावधान करता है। (फरवरी, 2021)

45. वित्त विधेयक 2021 स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ छूट का दावा करने के लिए एक वर्ष तक अर्थात 31 मार्च, 2022 तक विस्तार का प्रावधान करता है। (फरवरी, 2021)

46. वित्त विधेयक 2022 स्टार्टअप्स के लिए कर छूट के दावे के लिए पात्रता अवधि के एक और वर्ष तक विस्तार का प्रावधान करता है। (फरवरी, 2022)

47. वित्त विधेयक 2022 में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर प्रभार की अधिकतम सीमा को मौजूदा 37 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है। कर की प्रभावी दर को 28.5 प्रतिशत से घटाकर 23.9 प्रतिशत कर दिया गया है। (फरवरी, 2022)

48. वित्त विधेयक 2023 स्टार्टअप्स के लिए कर छूट के दावे के लिए पात्रता अवधि के एक और वर्ष तक विस्तार का प्रावधान करता है। (फरवरी, 2023)

49. वित्त विधेयक 2023 स्टार्टअप्स को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 79 के तहत 7 वर्षों की तुलना में 10 वर्षों की अवधि के लिए हानि निर्धारित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सक्षम बनाता है। (फरवरी, 2023)

50. वित्त विधेयक 2023 में नई कर व्यवस्था के तहत गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अधिभार को मौजूदा 37% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। कर की प्रभावी दर को 42.74% से घटाकर 39.0% कर दिया गया है। (फरवरी 2023)

आर्थिक कार्य विभाग

51. वित्त मंत्रालय अब गैर-सरकारी भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति और ग्रैच्यूटी फंड को सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी । और ।। के वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में अपने निवेश योग्य सरप्लस के 5 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति देता है। (मार्च 2021)

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

52. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा कंपनियों को उन फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) में निवेश की अनुमति प्रदान की है जो कुछ शर्तों के अधीन देश के भीतर निवेश करते हैं। (अप्रैल, 2021)

व्यय विभाग

53. परामर्शदात्री और अन्य सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु मैन्युअल के अंतर्गत स्टार्टअप की परिभाषा को 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुरूप किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

54. श्रम और रोजगार मंत्रालय अब ईपीएफओ को सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी । और ।। के वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में अपने निवेश योग्य सरप्लस के 5 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति देता है। (अप्रैल 2021)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

55. इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) संचालन दिशा-निर्देशों से उपनियम को हटाते हुए कहा गया है कि यदि कोई फंड स्टार्टअप्स के लिए निधियों के निधि से निकाला जाता है, तो वे ईडीएफ और इसके विपरीत से फंड नहीं निकाल सकते हैं। (नवंबर, 2018)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

56. स्टार्टअप की परिभाषा में संशोधन: किसी इकाई को इसके निगमन/पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक स्टार्टअप माना जाएगा क्योंकि इसके निगमन/ पंजीकरण की तिथि से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ है। (फरवरी, 2019)

57. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने दिनांक 21 सितंबर 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 646(अ) द्वारा पेटेंट नियमों में संशोधन किया है। पेटेंट नियमों में पेटेंट फाइल करने और अभियोजन हेतु शुल्क में 80 प्रतिशत की कमी से संबंधित लाभ अब शैक्षणिक संस्थानों को भी प्रदान किया गया है। (सितंबर 2021)

*****